

4. सामाजिक जीवन (Social Life)

ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि आर्यों का जीवन बहुत व्यवस्थित था। डॉ. स्मिथ ने लिखा है : "ऋग्वेद अस्थायी रूप से निवास करने वाले एक जन-समूह, व्यवस्थित समाज और पूर्ण विकसित संस्कृति की ओर संकेत करता है।"²

(i) परिवार—ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार 'पितृ-सत्तात्मक' होता था। इसे 'कुल' भी कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग नहीं है। परिवार के लिए 'गृह' शब्द प्रयुक्त हुआ है। माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री सभी सम्मिलित रूप से रहते थे। परिवार में पिता की प्रधानता थी और पिता के पश्चात् सबसे बड़ा पुत्र परिवार का प्रधान होता था। इस प्रकार, आर्यों में प्रारम्भ से ही संयुक्त परिवार-व्यवस्था और पितृ-प्रधान प्रणाली प्रचलित थी। परिवार में पिता के पश्चात् माता का स्थान था जो पति के जीवित रहते परिवार में पूर्ण प्रभावशाली होती थी। पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था। गोद लेने की प्रथा थी, परन्तु उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर 'वंश' का निर्माण और कई 'वंश' मिलकर जन का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में 'जन' शब्द करीब 275 बार एवं 'विश' 170 बार आया है।

(ii) विवाह-रीति और स्त्रियों की स्थिति—विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति माना जाता था। इस कारण विवाह एक पवित्र बन्धन था। साधारणतया एकपत्नी-प्रथा प्रचलित थी, परन्तु बहुपत्नी-प्रथा पर कोई रोक न थी। राजवंश के व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर लेते थे। परिवार में पत्नी का सम्मान था। वह पति की अर्धांगिनी कहलाती थी और सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेती थी। 'शतपथ ब्राह्मण' में पत्नी को पति की 'अर्धांगिनी' कहा गया है। बाल-विवाह नहीं होते थे और स्त्रियाँ स्वेच्छा से विवाह करती थीं। विवाह की आयु लगभग 16-17 वर्ष होती थी। सम्भवतया दस्यु अथवा अनार्यों से विवाह वर्जित था। उसी प्रकार, भाई-बहन और पिता-पुत्री का विवाह निषिद्ध था। इसके अतिरिक्त विवाह-सम्बन्धों पर कोई अन्य रुकावट न थी। विधवा-विवाह हो सकता था या नहीं, इस विषय में स्पष्ट नहीं कहा गया है परन्तु पुत्रहीन को अपने पति के भाई से पुत्र उत्पन्न करने अथवा नियोग (अस्थायी विवाह) के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार था। सती-प्रथा के उदाहरण बहुत कम और केवल राजवंशों में प्राप्त होते हैं। यह प्रथा सार्वजनिक रूप से मान्य

न थी। स्त्री अथवा पुरुष में शारीरिक दृष्टि से कोई दोष होने पर ही दहेज दिया जाता था अन्यथा यह प्रथा प्रचलित न थी। पर्दा-प्रथा न थी। स्त्रियाँ सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेती थीं और धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करती थीं। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं। ऋग्वेद में विश्वतारा, मुद्रा, अपाला, घोषा नामक स्त्रियाँ इस युग की महान् विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने ऋषि का पद प्राप्त किया था। स्त्रियों और पुरुषों के मिलने-जुलने पर कोई बन्धन न था। स्त्रियाँ युद्ध-क्षेत्र तक में जाती थीं। आर. सी. दत्त ने लिखा है : “प्राचीन इतिहास के निष्पक्ष विद्यार्थी यह मानेंगे कि प्राचीन हिन्दुओं में स्त्री का स्थान प्राचीन यूनानियों और रोमनों की तुलना में श्रेष्ठ था।”¹

परन्तु स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार न थे। वे कानून के सम्मुख समान न थीं। वे पति अथवा पिता की सम्पत्ति की अधिकारी न थीं। अविवाहित जीवन में उन्हें पिता अथवा भाई के संरक्षण में रहना पड़ता था और विवाह के पश्चात् पति की संरक्षता में। स्त्री के अधिकार एक पुत्री, एक बहन अथवा एक पत्नी के रूप में ही सम्मानित थे।

(iii) वर्ण-व्यवस्था—ऋग्वेद के दसवें मण्डल पुरुष-सूक्त में प्रथम बार यह उल्लेख किया गया कि ईश्वर ने आदि-पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य (क्षत्री), जाँघों से विश् (वैश्य) और चरणों से शूद्र को जन्म दिया। इससे स्पष्ट है कि वर्ण अथवा जाति-व्यवस्था का स्वरूप ऋग्वेद के निर्माण के अन्तिम समय में बनना आरम्भ हुआ था। आरम्भ में समाज के दो भाग थे—द्विज (आर्य) और अद्विज (अनार्य)। परन्तु धीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्था आरम्भ हुई। ब्राह्मणों और राजन्यों ने इसमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। जनसाधारण आर्य जो कृषि, पशुपालन अथवा अन्य व्यवसायों में लगे हुए थे, ‘विश्’ कहलाने लगे और अनार्यों को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया। परन्तु इस काल में वर्ण-व्यवस्था कठोर न थी। व्यवसायों के आधार पर आर्यों में वर्ण-परिवर्तन सम्भव था। विवाह-सम्बन्धों और खान-पान में आर्यों में कोई बन्धन न था। केवल दस्यु, दास अथवा शूद्रों से, जो आर्य न थे, अन्तर किया जाता था। ऋग्वेद में दान के लिए पुरुष-दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है जबकि नारी दास-दान में स्वीकार की जाती थी, इसके विवरण बहुत हैं। इससे यह अनुमान होता है कि धनी वर्ग में घरेलू दास-प्रथा ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में विद्यमान थी। परन्तु आर्थिक उत्पादन में दास-प्रथा उस समय प्रचलित न थी अर्थात् कृषि-उत्पादन या किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए मनुष्यों को दासों के रूप में नहीं रखा जाता था।

(iv) धोजन, वस्त्र, मकान, आभूषण आदि—आर्यों का मुख्य भोजन अन्न (जिसे वे ‘यव’ पुकारते थे और जो सम्भवतया जौ और गेहूँ को पीसकर बनाया जाता था), दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएँ, जैसे घी, मट्ठा, मक्खन, दही आदि था। अन्न को पीसकर आटा बनाते थे और उसकी रोटियाँ, पुए आदि बनाते थे। सब्जियों और फलों का भी प्रयोग होता था। आर्य भेड़, बकरी आदि का माँस खाते थे। घोड़े का माँस केवल अश्व-बलि के अवसर पर खाया जाता था। एक-दो उदाहरण ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहाँ गाय की बलि दिया जाना और उसका माँस खाना भी बताया गया है। परन्तु गाय की बलि अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसरों पर दी जाती थी और वह भी उस गाय की जो बच्चा और दूध देना बन्द कर देती थी अन्यथा गाय का वध

करना और गाय का माँस खाना वर्जित था। डॉ. आर. एस. शर्मा के अनुसार, ऋग्वैदिक आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था क्योंकि ऋग्वेद के मन्त्रों में चावल का उल्लेख नहीं है। सम्भवतया, ऋग्वेद की रचना के अन्तिम काल में ही आर्यों को चावल का ज्ञान हुआ था। पेय-पदार्थों में सुरा और सोम मुख्य थे। सुरा शराब थी परन्तु सोम किसी विशेष पौधे का रस था और उसका प्रयोग केवल उत्सवों अथवा यज्ञों के अवसर पर ही किया जाता था। कुछ विद्वान् उसे भाँग मानने लगे हैं। सुरा नशा दिलाती थी, इस कारण सदाचारी व्यक्तियों के लिए उसका प्रयोग वर्जित था।

स्त्री और पुरुष प्रायः समान प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके मुख्य वस्त्र 'वास' और 'अधिवास' थे। 'वास' कमर से नीचे पहना जाता था और 'अधिवास' कमर से ऊपर कन्धे पर डालने वाला वस्त्र था। 'नीवी' नामक एक अन्य वस्त्र का भी बाद में उल्लेख मिलता है जो सम्भवतया स्त्रियों द्वारा अन्दर पहना जाता था। विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जिसे 'वधूय' पुकारते थे। नाचने वाली स्त्रियाँ 'पैसा' नामक एक अन्य वस्त्र का प्रयोग करती थीं। शाल या चादर को 'द्रापी' पुकारते थे। मृग-चर्म को 'मरुत' कहते थे जिसका प्रयोग ऋषि-मुनि करते थे। डॉ. आर. एस. शर्मा के अनुसार, ऋग्वेदिक आर्यों को रुई का ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में ऋग्वैदिक आर्य, सम्भवतया, सूती कपड़ों का प्रयोग नहीं करते थे और उनके वस्त्र अधिकांशतया ऊन के होते थे। परन्तु अन्य इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि आर्य, उस काल में भी, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सम्भवतया, ऋग्वेद के बाद के समय में आर्यों को सूती कपड़े का भी ज्ञान हो गया था।

आर्यों के मकान साधारण होते थे और उनके निर्माण में मिट्टी तथा बाँसों का प्रयोग किया जाता था। नगरों का निर्माण उस समय में नहीं हुआ था।

स्त्री और पुरुष, दोनों ही सोने और बहुमूल्य पत्थरों के आभूषणों का प्रयोग करते थे। कुण्डल, अँगूठी, गले के हार, बाजूबन्द आदि उनके विभिन्न आभूषण थे। वे फूलों के गजरोँ का भी प्रयोग करते थे। कुरीरा स्त्रियों के सिर का आभूषण था। स्त्री-पुरुष दोनों ही अपने बालों में तेल डालते थे और कंघी करके उन्हें सँवार कर रखते थे। स्त्रियाँ लम्बे बाल रखती थीं जबकि पुरुष अधिकांशतया छोटे बाल ही रखते थे। पुरुष दाढ़ी रखते थे तथा दाढ़ी-मूँछ साफ भी करा देते थे।

आर्यों के मनोरंजन के साधन नाचना, गाना, रथों की दौड़, जुआ खेलना और ड्रामा करना था। वे बाँसुरी, वीणा और नगाडे का प्रयोग जानते थे। स्त्री और पुरुष, दोनों ही नाचते और गाते थे। शिकार खेलना राज-वर्ग का एक प्रमुख मनोरंजन था।

(v) नैतिकता—आर्यों का नैतिक जीवन बहुत श्रेष्ठ था। वे सदाचार, अतिथि-सत्कार, सत्य बोलना, दान करना, दुर्बलों की सहायता करना, सद्विचार रखना आदि को बहुत महत्व देते थे। चोरी, झूठ, व्यभिचार, धोखेबाजी और जादू-टोना करना दण्डनीय थे। वे अग्नि-देवता से सद्विचारों की माँग करते थे और वरुण-देवता से अपने पापों की क्षमा माँगते थे।

(vi) शिक्षा और ज्ञान—इस समय तक आर्यों में 'उपनयन' प्रथा (शिक्षा के प्रारम्भ में दीक्षा लेना) आरम्भ नहीं हुई थी यद्यपि यह माना जाता है कि यह प्रथा किसी-न-किसी रूप में प्रचलित रही होगी। पिता बच्चों को घर में शिक्षा देता था। उसके पश्चात् विद्यार्थी गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। सम्भवतया, शिक्षा मौखिक ही प्रदान की जाती थी क्योंकि

उस समय की लिपि का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी शिक्षा में स्मरण-शक्ति का बहुत महत्व रहा होगा, यह स्पष्ट है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बुद्धि का विकास और चरित्र-निर्माण था।

5. आर्थिक जीवन (Economic Life)

आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशु-पालन और कृषि था। ऋग्वैदिक-काल के प्रारम्भ में पशु-पालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा तथा पशुओं, मुख्यतया गायों को प्रमुख धन अथवा सम्पत्ति के रूप में माना जाता था। बाद के समय में कृषि भी उनका मुख्य व्यवसाय बना। इसी कारण, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रारम्भिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कबाइली व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है यहाँ तक कि इस समय में भूमि और गृह अचल सम्पत्ति के रूप में स्थान प्राप्त नहीं कर सके थे। पशुओं में प्रमुख स्थान गाय का था जो मूल्यांकन और विनिमय (exchange) दोनों का साधन थी। इसके अतिरिक्त बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता और गधा भी पालतू पशु थे। आर्य हल से खेती करना जानते थे और कई बैलों की सहायता से हल चलाते थे। कृषि में हल (जो लकड़ी का बना होता था) का प्रयोग आर्यों की एक मुख्य विशेषता थी। वे सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना जानते थे और उसके लिए गहरे कुएँ खोदते थे।

ऋग्वैदिक-काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था।

आर्यों का एक अन्य व्यवसाय शिकार करना था। वे पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते थे और हिरन, सिंह आदि पशुओं को पकड़ने हेतु गड्ढा खोदते थे। बड़ई का कार्य अथवा धातुओं (ताँबा) की वस्तु बनाने का कार्य, चमड़े का कार्य, कपड़ा बुनने और रंगने का कार्य, बाल काटने का कार्य, कसाई का कार्य, नाचने-गाने का कार्य, सुनारी का कार्य और चिकित्सा का कार्य, आदि आर्यों के अन्य प्रमुख व्यवसाय थे।

डॉ. आर. एस. शर्मा¹ का विचार है कि आर्यों ने समुद्री-यात्राएँ आरम्भ नहीं की थीं और निरन्तर युद्धों में लगे रहने के कारण वे विदेशी व्यापार के हेतु पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाते थे। परन्तु डॉ. आर. सी. मजूमदार² और वी. एम. आटे³ जैसे विद्वानों का कथन है कि आर्य समुद्री-यात्राएँ करते थे और उनका व्यापार बेबीलोन तथा पश्चिमी एशिया के देशों से होता था। ऐसे विवरण प्राप्त हुए हैं जिनमें 100 डाँडों से चलने वाले पानी के जहाजों का उल्लेख है। आन्तरिक व्यापार नदियों और स्थल-मार्गों से होता था, इस बारे में सभी विद्वान् सहमत हैं।

विनिमय का मुख्य साधन गाय थी परन्तु सोने के एक टुकड़े अथवा जेवर का भी उल्लेख मिलता है जिसे **निष्क** पुकारा जाता था। सम्भवतया, यह एक निश्चित वजन का सोने का टुकड़ा था जिसका प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता था। परन्तु आर्यों ने किसी प्रकार के सिक्के का निर्माण नहीं किया था।

इस समय का आर्थिक जीवन सम्पन्न था। भारत में कृषि और पशु-पालन के विकास की पूर्ण सुविधा थी जो आर्यों के प्रमुख व्यवसाय थे।